विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–13, कानपुर नगर।

UPKN010105062018

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–1388/2018
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम विवेक मिश्रा
मु0अ0सं0–649 सन् 2018
धारा–354 भारतीय दण्ड संहिता एवं
धारा–7/8 पाक्सो एक्ट,
थाना–नौबस्ता, जिला–कानपुर नगर।

दिनांकः–08–07–2026 :–

1. पत्रावली पेश हुई। न्यायालय में उप निरीक्षक श्री गौरव सिंह, पी0एन0ओ0 234220191, वर्तमान तैनाती पुलिस लाइन, कानपुर नगर ने, न्यायालय साक्षी संख्या–1 के रुप में साक्ष्य देते हुए कहा है कि ''दिनांक 10.05.2026 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त विवेक मिश्रा के विरुद्ध पारित किये गये एन0बी0डब्लू0 का आदेश प्राप्त हुआ, जिसका तामीला मुझ उप निरीक्षक गौरव सिंह द्वारा किया गया। अभियुक्त विवेक मिश्रा के विरुद्ध पारित एन0बी0डब्लू0 आदेश पर अंकित पते पर तामील कराने उक्त पते पर पहॅुचा तो मुझे अभियुक्त विवेक मिश्रा के भाई कौशल मिश्रा के द्वारा जानकारी दी गयी कि ''दिनांक 31.10.2024 को मेरे भाई विवेक मिश्रा की मृत्यु हो गयी है।'' जिसकी सूचना मुझे लिखित रुप से दी गयी और साथ में नगर निगम के मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति भी प्रदान की गयी जिसमें अभियुक्त विवेक मिश्रा की मृत्यु दिनांक 31.10.2024 अंकित है। एन0बी0डब्लू0 तामीला रिपोर्ट के साथ अभियुक्त विवेक मिश्रा के भाई के द्वारा लिखित सूचना एवं अभियुक्त विवेक मिश्रा के नगर निगम के मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.05.2026 को प्रेषित की गयी थी। जो बयान के समय पत्रावली में मौजूद है, जिसकी पुष्टि करता हूॅ। अभियुक्त विवेक मिश्रा के भाई द्वारा दी गयी मृत्यु से सम्बन्धित लिखित सूचना पर प्रदर्श ख–1, अभियुक्त विवेक मिश्रा के मृत्यु प्रमाणपत्र नगर निगम की छायाप्रति पर प्रदर्श ख–2, एन0बी0डब्लू0 तामीला की रिपोर्ट पर प्रदर्श ख–3 डाला गया।''

2. इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि इस मामले के एकमात्र अभियुक्त विवेक मिश्रा की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। सम्बन्धित उप निरीक्षक द्वारा मृतक विवेक मिश्रा के भाई कौशल मिश्रा द्वारा प्रस्तुत लिखित सूचना एवं अभियुक्त

विवेक मिश्रा का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः इसी क्रम में विशेष सत्र परीक्षण संख्या 1388 सन् 2018, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम विवेक मिश्रा, मु0अ0सं0–649/2018, धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता व 7/8 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 थाना–नौबस्ता, जनपद–कानपुर नगर की पत्रावली उपशमित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के क्रम में विशेष सत्र परीक्षण संख्या 1388 सन् 2018, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम विवेक मिश्रा, मु0अ0सं0–649/2018, धारा–354 भारतीय दण्ड संहिता व 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012, थाना–नौबस्ता, जनपद–कानपुर नगर में एकमात्र अभियुक्त विवेक मिश्रा की मृत्यु होने के क्रम में उपरोक्त पत्रावली उपशमित की जाती है।

बाद अनुपालन विशेष सत्र परीक्षण वाद की पत्रावली नियमानुसार दाखिल–दफ्तर हो।

(रश्मि सिंह–I)
विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–13,
कानपुर नगर।
जे.ओ. कोड–UP01543

Digitally signed by RASHMI SINGH
Date: 2026.07.09 15:14:12 IST
Reason: Abate Order
Location: District and Sessions Court, Kanpur Nagar